न्यायालय संभागीय आयुक्त, जोधपुर संभाग, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी :– डॉ. प्रतिभा सिंह, आई.ए.एस.

आर्म्स अपील संख्या 18/2025

अपीलाण्ट्स :–	बनाम	रेस्पोडेन्ट :–
1. सुरेन्द्र विश्नाई पुत्र रघुनाथ विश्नोई जाति विश्नोई निवासी रानीवाडा जिला जालोर		1. राजस्थान सरकार

अपील अन्तर्गत धारा 18 आयुध अधिनियम 1959 विरूद्ध आदेश जिला मजिस्ट्रेट, जालोर आदेश क्रमांक 2023/4765 दिनांक 14–06–2023 को पारित किया गया।

उपस्थिति :–
1. श्री दिनेश लोल बिरामी, विद्वान अधिवक्ता, अपीलाण्ट्स की ओर से।
2. श्री नवलसिंह दहिया, राजकीय अधिवक्ता, रेस्पोडेण्ट की ओर से।

:: **निर्णय** ::

दिनांकः– 27 मई, 2025

1. अपीलान्ट के द्वारा प्रस्तुत अपील के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि अधीनस्थ कार्यालय जिला कलेक्टर, जालोर ने आदेश क्रमांक/2023/4765 दिनाक 14.06.2023 के द्वारा अपीलान्ट के शस्त्र अनुज्ञा पत्र के नवीनीकरण करने बाबत प्रस्तुत किये गये आवेदन दिनांक 28.12.2022 को अस्वीकार कर दिया। उक्त आदेश से व्यथित होकर अपीलाण्ट द्वारा यह अपील दिनांक 13.07.2023 को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई है।

2. पक्षकारान के विद्वान अधिवक्ता उपस्थित है। अपीलाण्ट्स के विद्वान अधिवक्ता ने दौराने बहस अपील मीमो में वर्णित तथ्यों को दौहराते हुये कथन किया कि अधीनस्थ कार्यालय के द्वारा अपीलान्ट के शस्त्र अनुज्ञा पत्र के नवीनीकरण करने बाबत प्रस्तुत किये गये आवेदन दिनांक 28.12.2022 को अस्वीकार करने बाबत जो अपीलाधीन आदेश दिनांक 14.06.2023 पारित किया गया है, जो विधि के विरूद्ध होने से निरस्त किये जाने योग्य है। जिला कलेक्टर कार्यालय के द्वारा अपीलान्ट को आयुध अधिनियम, 1959 के तहत एक नोटिस दिनांक 27.03.2003 को प्रेषित कर सूचित किया गया कि शस्त्र लाईसेंस संख्या 210/1990 का नवीनीकरण समय पर नहीं करवाने का कारण स्पष्ट करें जिसका प्रत्युतर अपीलान्ट के द्वारा दिनांक 28.3.2023 को विलम्ब के कारणों का उल्लेख करते हुए प्रस्तुत कर दिया था।

संभागीय आयुक्त
जोधपुर

3. अपीलाण्ट के विद्वान अधिवक्ता ने अभिकथन किया कि अपीलांट द्वारा शस्त्र लाईसेंस नवीनीकरण समय पर नही करवाया जा सका, जिसमें लगभग एक वर्ष ग्यारह माह अठाईस दिन का विलम्ब होने के कारण जिला कलेक्टर, जालोर के द्वारा नोटिस से सूचित करते हुए अपीलांट के शस्त्र अनुज्ञापत्र संख्या 210/1990 को निरस्त करते हुए उसमें दर्ज शस्त्र 25 बोर पिस्टल नंबर 101298 मेड इन चेकोस्लोवाकिया एवं गोला बारूद (कारतूस) के साथ पुलिस थाना रानीवाडा में जमा करने का अपीलाधीन आदेश पारित किया गया। श्रीमान जिला कलेक्टर, जालोर के उक्त आदेश के अनुसरण में अपीलान्ट के द्वारा दिनांक 11.07.2023 को पुलिस थाना रानीवाडा जाकर पिस्टल मय कारतूस जमा करवा दिया गया।

4. अपीलाण्ट के विद्वान अधिवक्ता ने अभिकथन किया कि अपीलांट के द्वारा श्रीमान जिला कलेक्टर, जालोर को अपने अनुज्ञा पत्र के नवीनीकरण करवाने में हुए विलम्ब के लिये युक्तियुक्त स्वास्थ्य सम्बंधी स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया गया था लेकिन श्रीमान जिला कलेक्टर, जालोर के द्वारा उक्त स्पष्टीकरण पर गौर किये बिना ही उपरोक्त आदेश पारित कर दिया गया, जो कि काबिले खारिज है। अपीलांट का उक्त अवधि में स्वास्थ्य ठीक नहीं होने के कारण अपीलान्ट लम्बे समय से शस्त्र अनुज्ञा पत्र का नवीनीकरण नहीं करवा पाया। अपीलांट के द्वारा जानबूझकर शस्त्र नवीनीकरण में विलम्ब नही किया गया था इसलिए उपरोक्त आदेश खारिज किये जाने योग्य है। अपीलान्ट जिसके एच.पी. गैस का व्यवसाय है, हर वक्त रोकड रूपयों का आदान–प्रदान अधिक रहने के कारण खतरा बना रहता है, इस कारण से उपरोक्त शस्त्र लाईसेंस मय शस्त्र की सख्त जरूरत रहती है। अपीलांट के द्वारा शस्त्र लाईसेंस वैधता के दौरान लाईसेंसो का यूआईएन जारी होने की प्रकिया के कारण लाईसेन्स जिला कलेक्टर की न्यायिक शाखा में जमा होने के कारण अपीलांट उपरोक्त शस्त्र लाईसेन्स का नवीनीकरण समय पर नही करवा सका।

5. अपीलाण्ट के विद्वान अधिवक्ता ने अभिकथन किया कि अपीलांट के शस्त्र व लाईसेन्स लगातार लोकसभा, विधानसभा व पंचायती राज चुनावों इत्यादि के दौरान शस्त्र पुलिस थाना रानीवाडा में जमा होने के कारण अपीलांट शस्त्र अनुज्ञा पत्र का नवीनीकरण नही करवा सका। अपीलांट की माताजी को कैन्सर की बीमारी होने के कारण अपीलांट उनके ईलाज में अत्यधिक व्यस्त हो जाने के कारण निर्धारित समयावधि में शस्त्र का अनुज्ञापत्र का नवीनीकरण नही करवा सका। अपीलांट शस्त्र का यूआईएन प्रक्रिया के लिए जमा शस्त्र लाईसेंस पुनः प्राप्त ना होने के कारण तथा सम्बंधित कार्यालय शाखा के कर्मचारी की मृत्यु होने के कारण पत्रावली का समय पर निस्तारण नही होने के कारण अपीलांट के द्वारा शस्त्र अनुज्ञा पत्र का नवीनीकरण नही करवाया जा सका, इस आधार पर भी उपरोक्त आदेश खारिज होने योग्य है।

6. अपीलाण्ट के विद्वान अधिवक्ता ने अभिकथन किया कि अपीलांट के द्वारा जिला कलेक्टर कार्यालय की ओर से भेजे गये नोटिस का जवाब निर्धारित अवधि में प्रस्तुत कर दिया गया था तथा अपने एवं अपनी माताजी के स्वास्थ्य सम्बंधी स्पष्टीकरण भी दिया गया था परन्तु श्रीमान जिला कलेक्टर के द्वारा उपरोक्त नोटिस के जवाब पर सहानुभूति पूर्वक

सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर

गौर नहीं फरमाते हुए व बिना किसी तथ्यों व परिस्थिति को समझते हुए यह अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है, जो विधि के अनुकूल व उचित नहीं होने से काबिले खारिज किये जाने योग्य है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर जिला मजिस्ट्रेट, जालोर के द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश कमांक विधि/2023/4765 दिनाक 14.06.2023 को निरस्त फरमाया जाने का आदेश प्रदान करावे।

7. प्रत्युतर में दौराने सुनवाई विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने निवेदन किया कि श्रीमान जिला कलेक्टर, जालोर के द्वारा अपीलान्ट के शस्त्र अनुज्ञापत्र को उनके द्वारा नवीनीकरण हेतु नियत समयावधि में नवीनीकरण नहीं करवाने तथा नवीनीकरण हेतु आवेदन लगभग 02 वर्ष की अत्यधिक विलम्ब की अवधि के उपरान्त पेश किये जाने के आधार पर नवीनीकरण किया जाना योग्य नहीं पाये जाने पर उनके आवेदन को अस्वीकार करते हुए शस्त्र अनुज्ञापत्र को निरस्त करने का आदेश पारित किया गया है, वो विधि के अनुकूल उचित होने से यथावत रखा जावे एवं अपीलान्ट की अपील खारिज की जावें।

8. हमने उपस्थित पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं के द्वारा की गई बहस पर चिन्तन एवं मनन किया तथा अधीनस्थ न्यायालय/कार्यालय की पत्रावली का बगौर अवलोकन किया गया जिससे यह पाया गया है कि जिला कलेक्टर, जालोर के द्वारा अपीलाधीन प्रकरण में निर्णय लिये जाने से पूर्व अपीलान्ट की व्यक्तिशः एवं पारिवारिक परिस्थितियों यथा उनके स्वयं के बीमार होने तथा उनके माताजी के केन्सर की बीमारी के ईलाज कराये जाने के कथनों पर सहानुभूति पूर्वक कन्सीडर नहीं किया गया है। साथ ही जिला पुलिस अधीक्षक, जालोर के द्वारा के द्वारा अपीलान्ट के प्रकरण में जो जॉच रिपोर्ट प्रेषित की गई है उसमें अपीलान्ट के विरूद्ध किसी प्रकार का आपराधिक प्रकरण दर्ज होना, सजा होना, दोषसिद्धी होना, मामला विचाराधीन नहीं होना दर्शाया है, यानि कि अपीलान्ट का आचरण दूषित नहीं होना बताया है। नवीनीकरण विलम्ब के सम्बन्ध में जिला कलेक्टर, जालोर द्वारा कारण पूछे जाने पर अपीलान्ट के द्वारा लिखित में प्रार्थना पत्र पेश कर अपने बीमार रहने का उल्लेख किया है। अपीलान्ट के द्वारा उक्त शस्त्र की नवीनीकरण हेतु नियत अवधि दिनांक 31.12.2020 से नवीनीकरण हेतु पेश किये गये प्रार्थना पत्र की दिनांक 28.12.2022 तक उक्त शस्त्र का दुरूपयोग किया गया हो अथवा किसी प्रकार से शान्ती भंग की गई हो, ऐसा कोई तथ्य/साक्ष्य अधीनस्थ कार्यालय की पत्रावली पर नहीं पाया गया है। अपीलाधीन आदेश के पश्चात अपीलान्ट के द्वारा अपना शस्त्र रानीवाडा पुलिस थाना में जमा कराया जाना भी बताया है। इसके अतिरिक्त शस्त्र अनुज्ञा पत्र के नवीनीकरण में विलम्ब होने पर विलम्ब शुल्क लिया जाकर नवीनीकरण किये जाने का प्रावधान है।

9. ऐसे में उपरोक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में हमारे विनम्र मत में जिला कलेक्टर, जालोर के द्वारा पारित किये गये अपीलाधीन आदेश को यथावत रखा जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। अतः उपरोक्त समस्त तथ्यों पर विवेचन एवं विश्लेषण के उपरान्त अपीलान्ट की अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर जिला कलेक्टर, जालोर के द्वारा पारित

सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर

आदेश दिनांक 14.06.2023 को निरस्त करते हुए प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को पुनः नये सिरे से निर्णय किये जाने हेतु प्रतिप्रेषित किया जाना उचित होगा।

10. अतः उपरोक्त समस्त तथ्यों पर विवेचन एवं विश्लेषण के उपरान्त अपीलान्ट की अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर जिला कलेक्टर, जालोर के द्वारा पारित आदेश दिनांक 14.06.2023 को निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इन दिशा–निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे अपीलान्ट के प्रकरण में जिला पुलिस अधीक्षक से अपीलान्ट के आचरण सम्बन्धी रिपोर्ट प्राप्त करे तथा अपीलान्ट को सुनवाई हेतु पक्ष रखे जाने का पर्याप्त अवसर दिये जाने के उपरान्त पुनः नये सिरे से यथोचित निर्णय पारित करें। निर्णय आज दिनांक 27 मई, 2025 को सरे इजलास सुनाया गया।

(डॉ. प्रतिभा सिंह)
सम्भागीय आयुक्त,
जोधपुर